

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-17/2017/वे0 आ 0-2- 858/दस-2(एम)/2016
लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति/वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि)प्रकोष्ठ में उपलब्ध निम्न पदों को नियत मानदेय से भरे जाने की स्थिति में निम्नानुसार प्रतिमाह नियत मानदेय निर्धारित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र 0 सं०	पदनाम	नियत मानदेय की धनराशि
1	वरिष्ठ परामर्शदाता*	रु० 45000=00
2	विशेष कार्याधिकारी*	रु० 40000=00
3	वरिष्ठ शोध अधिकारी*	रु० 40000=00
4	शोध अधिकारी*	रु० 35000=00
5	निजी सचिव*	रु० 35000=00
6	अपर निजी सचिव*	रु० 28000=00
7	अपर सांख्यिकीय अधिकारी*	रु० 25000=00
8	लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष*	रु० 25000=00
9	अवर वर्ग सहायक*	रु० 20000=00

*उपरोक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरे जाने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त सक्षम प्राधिकारी नामित है।

अर्जुन सिंह
विशेष सचिव।

सं०-17/2017/वे0 आ 0-2-858(1)/दस-2(एम)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ० प्र०, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- सचिव, वित्त (वेतन आयोग)।
- 4- सचिवालय प्रशासन(अधि०)-1/5
- 5- गार्ड फाईल।

आजा से,
के० एल० वर्मा
उप सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जरी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर के अस्तित्व नहीं है।
- 2- इस शासनादेश के प्रामाणिक वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।